

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (2)/मो./RRS-MIS/आईसीडीएस/2017 208586-618 जयपुर दिनांक
उपनिदेशक 10-12-18
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय:- कारण बताओ नोटिस।

प्रसंग:- निदेशालय का पत्रांक 114091-124 दिनांक 21.06.2018, 137396-426
दिनांक 26.7.2018 व 202880-912 दिनांक 27.11.2018

उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा समस्त उप निदेशकों को संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की मासिक सूचनाओं की जब तक RRS PORTAL पर समस्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित सूचनाओं का शत प्रतिशत फीडिंग प्रति माह नहीं हो जाती है तब तक प्रत्येक माह की 10 तारीख तक Google Sheet पर दिये गये लिंक में उपलब्ध प्रारूप में मासिक सूचनाओं को दर्ज करने के निर्देश दिये गये थे। लेकिन उक्त RRS PORTAL पर समस्त सूचनाओं का निर्धारित दिनांक तक फीडिंग का कार्य न करने की स्थिति में निदेशाल के पत्र दिनांक 27.11.2018 द्वारा Google Sheet पर ICDS MPR EXCEL Sheet में दिनांक 05.11.2018 तक फीडिंग करने के निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी कुछ जिलों की आंशिक तथा कुछ जिलों की सम्पूर्ण परियोजना की सूचना आज दिनांक तक फीडिंग का कार्य नहीं करवाने का कारण स्पष्ट करते हुए अपना स्पष्टीकरण तीन दिवस में अद्योहस्तरकर्ता को प्रस्तुत करें।


अतः संबंधित परियोजनाओं की सूची सलंगन कर निर्देशित किया जाता है कि संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की समस्त सूचनाओं का Google Sheet पर ICDS MPR EXCEL Sheet में परियोजनावार दिनांक 11.12.2018 तक फीडिंग करवाना सुनिश्चित करावे ताकि वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण से संबंधित सूचनाओं का समय पर संकलित किया जा सके अन्यथा विलम्ब एवं राजकीय कार्य प्रति लांपरवाही की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।


निदेशक

समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : एफ 11 (2)/मो./RRS-MIS/आईसीडीएस/2017 208619-923 जयपुर दिनांक
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- 10-12-18

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
2. एसीपी मुख्यालय उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।


अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास, सेवाएँ